हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला, हिमाचल प्रदेश

"कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)" अधिनियम, 2013 विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अधिनियम में दिये प्रावधानों के बारे जागरूकता हेतु सचिव, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून, उत्तराखंड (पत्र संख्या 55-1/2016-ICFRE दिनांकित 07.11.2022), सहायक महानिरीक्षक वन (आर टी), नई दिल्ली (पत्र संख्या फाइल नंबर 17-32/2022-RT दिनांकित 01.11.2022) एवं सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली (डीओ पत्र सं. WW-16/5/2021-WW (96705) दिनांकित 13.10.2020) से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुये दिनांक 08.12.2022 को संस्थान में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शोधार्थियों के लिए **"कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013"** विषय पर एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

इस कार्यक्रम में डॉ स्वर्ण लता, वैज्ञानिक डी (अध्यक्ष आंतरिक शिकायत निवारण कमेटी एवं कार्यक्रम समन्वयक) तथा श्री ज्वाला प्रसाद, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी में मुख्य वक्ता रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ संदीप शर्मा, निदेशक प्रभारी, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला ने की । इस जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम में संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शोधार्थियों (46) ने भाग लिया । कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ स्वर्ण लता द्वारा "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के मुख्य उद्देश्य के बारे में विस्तृत जानकारी सांझा करने के साथ हुयी । उन्होंने यह भी अवगत करवाया की कार्यक्षेत्र में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने से महिलाओं के मौलिक अधिकारों विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 19 (1) (**g**) की अवहेलना होती है तथा यह हर नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि कार्यालय में कार्य कर

रही सभी महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करें व यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के प्रवधानों की अनुपालना सुनिश्चित करें ।

इस अवसर पर अपने विचार रखते हुरए डॉ. संदीप शर्मा ने महिलाओं के अतीत और वर्तमान समय के सामाजिक स्थितियों के बारे में विस्तार से चर्चा की । उन्होंने शिक्षा, कौशल, रोजगार के अवसरों में सुधार और समाज की बदलती मानसिकता के कारण महिलाओं की वर्तमान सामाजिक स्थिति के बदलते परिदृश्य के बारे में भी बात की तथा महिलाओं को कार्यक्षेत्र में अनुकूल वातावरण प्रदान करने को जोर दिया ताकि संस्थान की विकास में वे सम्पूर्ण योगदान दे पायें ।

इस अवसर पर श्री ज्वाला प्रसाद, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ने कार्यस्थलों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की वर्तमान समस्याओं, लैंगिक मुद्दों एवं लैंगिक समावेशी कार्य वातावरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की । इसके उपरांत डॉ स्वर्ण लता ने कार्यस्थलों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रकार, भारत में प्रमुख चर्चित यौन उत्पीड़न के मामले, विशाखा दिशानिर्देश, यौन उत्पीड़न पर ऐतिहासिक निर्णय, यौन उत्पीड़न अधिनियम, आतंरिक शिकायत निवारण समिति (ICC), स्थानीय शिकायत निवारण समिति (LCC), यौन उत्पीड़न अधिनियम का पालन न करने पर जुर्माना, नियोक्ता के कर्तव्य इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की ।

कार्यक्रम के अंत में डॉ स्वर्ण लता ने सभी प्रतिभागियों का इस जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया ।

जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम की झलकियां